

भाग-II

आयोजना भिन्न व्यय, 2001-2002

आयोजना-भिन्न व्यय शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में सरकार के ऐसे सारे व्यय के बारे में किया जाता है, जो आयोजना में शामिल नहीं होता। इसमें विकासात्मक और गैर-विकासात्मक दोनों प्रकार का व्यय शामिल होता है। व्यय का कुछ भाग अनिवार्य देनदारियों से सम्बन्धित होता है, जैसे व्याज सम्बन्धी अदायगियां, पेंशन प्रभार और राज्यों को सांविधिक अन्तरण। व्यय का अन्य भाग राज्य के दायित्वों के सम्बन्ध में होता है, उदाहरणार्थ-रक्षा और आन्तरिक सुरक्षा। इसके अलावा, केन्द्र की कुछ विशेष जिम्मेदारियां भी हैं, जैसे विदेशी मामले और करंसी तथा टक्साल और अन्य देशों के साथ सहयोग। पिछली आयोजनाओं की अवधि में निर्मित परिस्मत्तियों के अनुरक्षण पर किया जाने वाला व्यय भी आयोजना-भिन्न व्यय माना जाता है। इसी प्रकार, किसी एक आयोजना की अवधि में प्राप्त स्तरों पर जारी सेवाओं और गतिविधियों पर होने वाला व्यय अगली आयोजना में आयोजना-भिन्न के रूप में शामिल किया जाता है, जैसे पहले से चालू अनुसंधान परियोजनाएं और विद्युत केन्द्रों का प्रचालन व्यय। इस प्रकार, आयोजना के वित्तपोषण के बास्ते लिए गए उधारों पर व्याज के अलावा, जैसे-जैसे अधिक आयोजनाएं पूरी होती जाती हैं, वैसे ही सुविधाओं तथा सेवाओं के अनुरक्षण और प्रचालन पर होने वाले स्वर्च की बहुत बड़ी राशि, आयोजना-भिन्न व्यय में जुड़ती जाती है।

आयोजना-भिन्न व्यय के स्पष्ट श्रेणीवार व्यौरे विवरण सं. 4 में दिए गए हैं।

2000-2001 के बजट में शामिल की गई आयोजना-भिन्न व्यय की महत्वपूर्ण मदों की जानकारी निम्नलिखित पैराग्राफों में दी गई है।

1. व्याज सम्बन्धी अदायगियां (112300.35 करोड़ रुपए)

ये सरकारी ऋण और सरकार के अन्य सद्व्याज देयताओं पर व्याज से संबंधित हैं। इनमें मुख्यतः बाजार ऋण और अन्य मध्यावधिक तथा दीर्घावधिक ऋण, राजकोषीय हुंडिया और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को जारी रुपया प्रतिभूति शामिल हैं। अन्य सद्व्याज देयताओं में बीमा और पेंशन निधि, गैर-सरकारी भविष्य निधियों की जमाराशियां और वाणिज्यिक विभागों आदि की प्रारक्षित निधियां शामिल हैं।

2. रक्षा (62,000 करोड़ रुपए)

इसमें रक्षा सेवाओं पर होने वाला राजस्व और पूंजी व्यय, वसूलियों और राजस्व प्राप्तियों को घटाकर, शामिल है। इसके घटक ये हैं- थल सेना (31,102.66 करोड़ रुपए), नौ सेना (4,257.92 करोड़ रुपए), वायु सेना (7,713.55 करोड़ रुपए), आयुध कारखाने ((-)10,32.65 करोड़ रुपए) और उपर्युक्त सभी सेवाओं का पूंजी परिव्यय (19,958.52 करोड़ रुपए)।

3.1 मुख्य आर्थिक सहायताएं (27845 करोड़ रुपए)

3.1.1 खाद्य संबंधी आर्थिक सहायता (13675 करोड़ रुपए):- भारतीय साध्य निगम सरकार द्वारा समय-समय पर नियत अधिप्राप्ति मूल्यों पर केन्द्रीय पूल के लिए खाद्यान्न खरीदता है। ये खाद्यान्न सरकार द्वारा नियत दरों पर निर्धनता रेखा से नीचे और निर्धनता रेखा से ऊपर रहने वाले परिवर्तों के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु राज्यों को जारी किए जाते हैं। आर्थिक लागत और केन्द्रीय निर्गम मूल्य के बीच अंतर की प्रतिपूर्ति निगम को खाद्य संबंधी आर्थिक सहायता के रूप में की जाती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्य भी विकेंद्रित अधिप्राप्ति योजना के अधीन गेहूं और/अथवा चावल की भी अधिप्राप्ति करते हैं और इसका टीपीडीएस के लिए उपयोग करते हैं। राज्यों के लिए नियत खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और निर्गम मूल्य के बीच अंतर को आर्थिक सहायता के रूप में राज्यों को दे दिया जाता है।

निगम सरकार की ओर से संकटरोधी (बफर) भंडार भी रखता है और इसे इस भंडार के वहन की लागत की प्रतिपूर्ति की जाती है जिसमें उठाने-रखने, भंडारण, व्याज और प्रशासनिक प्रभार शामिल होते हैं। यह

आर्थिक सहायता प्रारम्भिक रूप से कतिपय राशि को रोकने के बाद जिसे वास्तविक माल उठाने के उचित सत्यापन के बाद जारी किया जाता है, अनन्तिम आधार पर भारतीय खाद्य निगम को अदा की जाती है।

3.1.2 देशी (यूरिया) उर्वरक (7,956 करोड़ रुपए):- देशी उर्वरक के सम्बन्ध में प्रतिधारण मूल्य योजना 1977 से लागू है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उचित मूल्यों पर देशी उर्वरक उपलब्ध कराना और इस के साथ-साथ उर्वरक के उत्पादकों को उनके निवेश पर उपर्युक्त प्रतिलाभ दिलाना था।

प्रतिधारण मूल्य योजना के अन्तर्गत निवल मूल्य राशि पर 12 प्रतिशत करोपरांत प्रतिलाभ की अनुमति है। वितरण मार्जिन को घटाकर, इस प्रकार निर्धारित प्रतिधारण मूल्य और सांविधिक रूप से नियंत्रित उपभोक्ता मूल्य के बीच के अन्तर के सम्बन्ध में आर्थिक सहायता दी जाती है। आर्थिक सहायता की मात्रा प्रतिधारण मूल्य, उपभोक्ता मूल्य और उत्पादन के स्तर पर निर्भर होती है।

3.1.3 आयातित (यूरिया) उर्वरक (500 करोड़ रुपए):- चूंकि देशी उत्पादन उर्वरकों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, अतः कमी को पूरा करने के लिए आयात किया जाता है। उर्वरकों की मुख्यतः तीन किसमें अर्थात् यूरिया, डाई-अमोनियम फास्फेट और म्यूरेट आफ पोटाश आयात की जाती हैं। चूंकि केवल नाइट्रोजनी उर्वरकों पर मूल्य नियंत्रण लागू होता है इसलिए ये अनुमान वर्ष के दौरान यूरिया के सम्भावित आयात पर आधारित हैं।

3.1.4 कृषकों को छूट के साथ विनियंत्रित उर्वरक की बिक्री (5714 करोड़ रुपए):- यह व्यवस्था उर्वरकों के विनिर्माताओं और आयातकर्ताओं तथा एजेंसियों को भुगतान से संबंधित है। यह योजना किसानों को एन-पी-के का अच्छा अनुपात बनाए रखने की दृष्टि से फास्फेटी और पोटाशी उर्वरकों के मूल्यों को विनियंत्रित किए जाने के बाद शुरू की गई थी।

3.2 व्याज संबंधी आर्थिक सहायता (143.31 करोड़ रुपए):- सरकार द्वारा स्वीकृत ऋणों पर व्याज की अदायगी सामान्यतः समय-समय पर निर्धारित दरों पर की जाती है। उन विशेष मामलों में, जहां व्याज दरों में रियायत दी जाती है अथवा जहां ऋण पर व्याज की अदायगी से छूट दी जाती है, वहां आर्थिक सहायता दी जाती है और आर्थिक सहायता के बराबर की राशि को सरकारी व्याज-प्राप्ति मान लिया जाता है। व्याज सम्बन्धी आर्थिक सहायता सरकारी क्षेत्र के उपकरणों को भी बैंकों से ऋणों पर व्याज अदायगी को वित्त पोषित करने के लिए दी जाती है।

व्याज संबंधी आर्थिक सहायताओं के व्यौरे विवरण संख्या 5 में दिए गए हैं।

3.3 अन्य आर्थिक सहायताएं (1812.86 करोड़ रुपए):- अन्य आर्थिक सहायताओं के व्यौरे विवरण संख्या 6 में दिए गए हैं। जिन प्रमुख मदों के लिए व्यवस्था की गई है, वे नीचे दी गई हैं :-

(क) जम्मू एवं कश्मीर में छोटे ऋणकर्ताओं के लिए ऋण राहत स्कीम (46 करोड़ रुपए): इस स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार, जम्मू एवं कश्मीर राज्य में पर्यटन, परिवहन, लघु उद्योग एवं व्यापार क्षेत्रक के लिए दिये गये ऋणों के संबंध में ऐसी देय धनराशियों को बैंकों और दूसरे वित्तीय संस्थानों द्वारा बड़े खाते डालने का निर्णय लेने के कारण इनसे उत्पन्न देयताओं को वहन करने को राजी हुई है जहां मूल ऋण 30 जून, 1996 की स्थिति के अनुसार बकाया धनराशि से कम या 50,000 रुपए तक थी।

(ख) हज आर्थिक सहायता (154.50 करोड़ रुपए): यह 2001 में हज कार्यों के संबंध में है और इसका उद्देश्य हज यात्रियों द्वारा भुगतान किये जाने वाले विमान किराया के लिये आर्थिक सहायता देना है।

4. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (2000 करोड़ रुपए)

सरकार ने 500 करोड़ रुपए की आकस्मिक निधि के साथ एक राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि स्थापित करने की घारहवें वित्त आयोग की सिफारिश स्वीकार कर ली है। इस निधि का उद्देश्य बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदाओं द्वारा प्रभावित राज्यों को विशेष सहायता प्रदान करने के लिए एक परिक्रामी निधि के रूप में प्रयोग किया जाना है। वित्त आयोग ने यह भी सिफारिश की थी कि इस प्रकार की असाधारण सहायता भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय करों पर एक विशेष अधिभार लगाकर वित्तपोषित की जानी चाहिए। संसोधित अनुमान 2000-01 और बजट अनुमान 2001-02 में राज्यों को (गुजरात सहित जिसे बड़े पैमाने पर भूकम्प के विनाशकारी परिणामों का सामना करना पड़ रहा है) सहायता के रूप में क्रमशः 1000 करोड़ रुपए और 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस व्यय को केन्द्रीय करों/शुल्कों पर अधिभार से पूरा किया जाना है।

5. डाक सम्बन्धी घाटा (1432.54 करोड़ रुपए)

डाक संबंधी घाटा डाक विभाग के कार्यकारी स्वर्चों की कमी को दर्शाता है। जबकि इस विभाग के कार्यकारी खर्च 5185.00 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है, बजट प्रस्तावों के आधार पर डाक संबंधी प्राप्तियां 3752.46 करोड़ रुपए हैं। जिससे 1432.54 करोड़ रुपए का घाटा होगा।

6. रेलवे (913 करोड़ रुपए):- रेलवे अभियान समिति की सिफारिशों के रूप में रेलवे की अनेक मदों पर सामान्य राजस्व लाभांश की अदायगी के संबंध में रियायतें दी गई हैं। इनके बारे में प्राप्ति बजट में स्पष्ट रूप से बताया गया है। सामरिक महत्व की लाइनों के कार्य संचालन से संबंधित हानियों को छोड़कर रेलवे की लाभांश रियायत सामान्य राजस्व से आर्थिक सहायता के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। सामरिक महत्व की लाइनों के कार्य संचालन संबंधी वार्षिक हानियां सामान्य राजस्व द्वारा वहन की जाती हैं।

7. सामान्य सेवाएं

7.01 राज्य के अंग (1231.77 करोड़ रुपए):- इसमें संसद (194.89 करोड़ रुपए), राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति (10.29 करोड़ रुपए), मंत्रिपरिषद (91.52 करोड़ रुपए), न्याय प्रशासन (64.06 करोड़ रुपए और भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग (860.28 करोड़ रुपए) के लिए व्यवस्था की गई है।

7.02 कर संग्रह (2544.07 करोड़ रुपए):- यह व्यवस्था कर संग्रह एजेंसियों के व्यय के लिए है और यह मुख्यतः आयकर विभाग (1067.36 करोड़ रुपए), सीमाशुल्क (639.82 करोड़ रुपए) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (785.04 करोड़ रुपए) के सम्बन्ध में है।

7.03 निर्वाचन (280 करोड़ रुपए):- 280 करोड़ रुपए का प्रावधान मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों की खरीद के लिए है।

7.04 सचिवालय-सामान्य सेवाएं (848.70 करोड़ रुपए):- प्रमुख व्यवस्थाएं रक्षा महानियंत्रक रक्षा लेखा के संगठन और रक्षा सम्पदा संगठन सहित (500.53 करोड़ रुपए), विदेश कार्य (120.31 करोड़ रुपए) और गृह (60 करोड़ रुपए) और राजस्व (44.97 करोड़ रुपए) के लिए की गई है।

7.05 पुलिस (7381.42 करोड़ रुपए):- इसमें केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के लिए 1900.00 करोड़ रुपए, सीमा सुरक्षा बल के लिए 2242.00 करोड़ रुपए, असम राइफल के लिए 650.00 करोड़ रुपए, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के लिए 755.00 करोड़ रुपए और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के लिए 420.00 करोड़ रुपए और दिल्ली पुलिस के लिए 800.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल है।

7.06 विदेश कार्य (1706.34 करोड़ रुपए):- यह व्यय मुख्यतः विदेशों में स्थित दूतावासों और मिशनों तथा विशेष राजनयिक व्यय के लिए है।

7.07 पेंशन (15058.90 करोड़ रुपए):- इसमें रक्षा सेवाओं (10769.60 करोड़ रुपए) और अन्य सिविल विभागों (4289.30 करोड़ रुपए) के सेवानिवृत्त कार्मिकों की पेंशन और अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ शामिल हैं। रेलवे और डाक और दूर संचार विभागों के पेंशन प्रभारों को इन विभागों के कार्यालय व्यय का भाग माना जाता है।

7.08 अन्य (975.88 करोड़ रुपए):- इसमें भारत सरकार के लोक निर्माण कार्य के लिए 404.83 करोड़ रुपए की व्यवस्थाएं शामिल हैं।

इस सेक्टर में शामिल वाणिज्यिक विभागों यथा, कैन्टीन स्टोर विभाग और विभिन्न प्रतिभूति मुद्रण, करेंसी नोट और बैंक नोट मुद्रणालयों और प्रतिभूति कागज कारखाने का राजस्व व्यय 4318.96 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। तथापि, यह 4734.74 करोड़ रुपए की प्राप्तियों द्वारा अधिकांशतः प्रतिसंतुलित हो जाएगी।

8. सामाजिक सेवाएं

8.01 शिक्षा (2393.30 करोड़ रुपए):- इसमें केन्द्रीय विद्यालयों के लिए 515.80 करोड़ रुपए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए 1030.68 करोड़ रुपए, तकनीकी शिक्षा के लिए 899.59 करोड़ रुपए, जिसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं और केन्द्रीय इंजीनियरी कालेजों के लिए 436.50 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल है।

8.04 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (976.67 करोड़ रुपए):- इसमें केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के लिए 262.00 करोड़ रुपए, एलोपैथी अस्पतालों और डिस्पेंसरियों के लिए 119.23 करोड़ रुपए, डाक्टरी शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए 436.26 करोड़ रुपए और लोक स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 55.41 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल है।

8.06 सूचना और प्रसारण (1116.47 करोड़ रुपए):- इस व्यवस्था में प्रसार भारतीय (930 करोड़ रुपए) को उसके राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए संसाधनों में अंतर की पूर्ति के लिए अनुदान, विभिन्न सूचना और प्रचार अभियानों जैसे फिल्म डिवीजन, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, प्रेस सूचना सेवा, संगीत और नाटक प्रभाग, प्रकाशन प्रभाग आदि के लिए 186.47 करोड़ रुपए शामिल है।

8.07 श्रमिक कल्याण (907.20 करोड़ रुपए):- इसमें सामाजिक सुरक्षा के लिए कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 को अंशदान के लिए 650.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल है, जो 16 नवम्बर, 1995 से लागू की गई है। अन्य योजनाएं, जिनके लिए व्यवस्था की गई है, वे हैं— औद्योगिक सम्बन्ध, काम की स्थितियां और सुरक्षा, श्रमिक कल्याण, श्रमिक शिक्षा और कारीगरों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण।

8.08 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (388.90 करोड़ रुपए):- इसमें स्वतन्त्रता सेनानियों को दी जाने वाली पेंशन और अन्य लाभों के लिए 269.55 करोड़ रुपए, बाल और महिला कल्याण के लिए 42.65 करोड़ रुपए, विकलांगों के कल्याण के लिए 23.31 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल है।

9. आर्थिक सेवाएं

9.01 कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलाप (1073.73 करोड़ रुपए):- इसमें कृषि कार्य, बागान, भूमि और जल संरक्षण, पशु पालन, डेरी विकास, मत्स्य पालन, वानिकी और वन्य-जीवन, स्थाय भंडारण, भांडागारण आदि से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं के लिए व्यवस्था है। मुख्य व्यवस्थाएं कृषि अनुसंधान और शिक्षा (704.05 करोड़ रुपए) के लिए हैं।

9.03 ऊर्जा (94.95 करोड़ रुपए):- इस व्यवस्था में विद्युत केन्द्रों/स्कीमों पर निवल व्यय के लिए 22.28 करोड़ रुपए शामिल है। राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र के मामले में निवल व्यय 73.64 करोड़ रुपए है। बदरपुर तापीय विद्युत केन्द्र की प्राप्तियां (970 करोड़ रुपए) व्यय (971 करोड़ रुपए) के आस-पास होने की सम्भावना है। इस क्षेत्र में अन्य प्रमुख व्यवस्थाएं कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा (75.00 करोड़ रुपए) और कोयला खाने क्षेत्रों में परिवहन आधारभूत ढांचे के विकास (40 करोड़ रुपए) से संबंधित है।

9.04 उद्योग और खनिज (427.59 करोड़ रुपए):- मुख्य व्यवस्थाएं ग्राम और लघु उद्योग, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, भोपाल गैस दुर्घटना संबंधित लेन-देन, न्यूकलीय ईंधन परियोजनाओं सहित परमाणु ऊर्जा विभाग की औद्योगिक परियोजनाओं, वस्त्रोद्योग और जूट से संबंधित संगठनों और स्कीमों के लिए है। परमाणु ऊर्जा विभाग की परियोजनाओं में ईंधन निर्माण सुविधाओं के लिए 221.71 करोड़ रुपए की प्राप्तियों को घटाकर व्यवस्था की गई है, जिसे वाणिज्यिक सेवा माना जाता है।

9.05 परिवहन (1371.03 करोड़ रुपए):- ये व्यवस्थाएं मुख्यतया सड़कों तथा पुलों के रस्य-रस्याव (राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 749.04 करोड़ रुपए सहित 910.69 करोड़ रुपए) और तलकर्षण तथा सर्वेक्षण संगठनों (344.33 करोड़ रुपए) से संबंधित हैं। दीप-स्तम्भ और दीप पोत विभाग को वाणिज्यिक उपक्रम माना जाता है, और 8.16 करोड़ रुपए की निवल प्राप्तियां होने का अनुमान है।

9.06 विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण (1967.51 करोड़ रुपए):- इसके अन्तर्गत की गई व्यवस्था में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान के लिए 664.22 करोड़ रुपए, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए 307.65 करोड़ रुपए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्कीमों के लिए 278.84 करोड़ रुपए, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के लिए 600.22 करोड़ रुपए, पारिस्थितिकी और पर्यावरण के लिए 74.10 करोड़ रुपए और समुद्र-वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 25.06 करोड़ रुपए शामिल हैं।

10. राज्यों को आयोजना-भिन्न अनुदान (17923.31 करोड़ रुपए)

राज्यों को अनुदान ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत अंतरिम सिफारिशों पर आधारित अनन्तिम हैं वित्त मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों से आयोजना-भिन्न अनुदानों में राज्यों के आयोजना-भिन्न राजस्व घाटों को शामिल करना पुलिस बलों का आधुनिकीकरण, सड़कों का रख-रखाव आदि आशयित है।

ब्यौरे विवरण सं. 10 में दिखाए गए हैं।

11. संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को आयोजना-भिन्न अनुदान (614.77 करोड़ रुपए)

इसके अन्तर्गत व्यवस्था मुख्यतः पांडिचेरी के लिए आयोजना-भिन्न राजस्व के अन्तर (289.00 करोड़ रुपए) को पूरा करने के लिए की गई है। ब्यौरे विवरण संख्या 10 में दिए गए हैं।

12. विदेशी सरकारों को अनुदान (474.17 करोड़ रुपए)

इसमें मुख्यतः भूटान के लिए 210 करोड़ रुपए, नेपाल के लिए 109 करोड़ रुपए, अन्य विकासशील देशों आदि के लिए 56.10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ब्यौरे विवरण संख्या 11 में दिए गए हैं।

13. अन्य आयोजना-भिन्न पूँजी परिव्यय (2289.53 करोड़ रुपए)

इसमें मुख्य व्यवस्था आणविक ऊर्जा विभाग को पूँजी परिव्यय (311.35 करोड़ रुपए), तटरक्षक संगठन के लिए पोतों, नावों, विमानों आदि के अधिग्रहण (245.00 करोड़ रुपए), सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण (254.94 करोड़ रुपए), पुलिस के लिए भवन निर्माण (276.08 करोड़ रुपए), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यालय भवन का निर्माण (120.00 करोड़ रुपए) और विदेश स्थित दूतावासों के लिए आवासीय और गैर-आवासीय भवनों के अधिग्रहण/निर्माण (94.20 करोड़ रुपए) के लिए की गयी है।

विवरण संख्या 8 में ब्यौरा दिया गया है।

14. राज्यों को आयोजना-भिन्न ऋण (528.18 करोड़ रुपए)

ब्यौरे विवरण संख्या 10 में दिए गए हैं।

15. संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को आयोजना-भिन्न ऋण (61.00 करोड़ रुपए)

इसमें पांडिचेरी को अपने संसाधनों में आयोजना-भिन्न अन्तर को पूरा करने के लिए व्यवस्था की गई है।

16. सरकारी उद्यमों को आयोजना-भिन्न अनुदान और उधार (1373.92 करोड़ रुपए)

इसमें सरकारी क्षेत्र के कई उद्यमों की नकद हानियों और कार्यकारी व्ययों को पूरा करने के लिए 978.30 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, स्वादी और ग्रामोद्योग आयोग को पहले दिए गए ऋणों के नवीकरण के लिए 2.00 करोड़ रुपए तथा केन्द्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा स्कीम निधि से हुड़को (एच यू डी सी ओ) को 10.00 करोड़ रुपए ऋण देने की व्यवस्था शामिल है। 150.00 करोड़ रुपए की एकमुश्त व्यवस्था सार्वजनिक क्षेत्र की घाटे में जाने वाली कुछ कम्पनियों के पुनर्गठन पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए है। 150.00 करोड़ रुपए का दूसरा एक मुश्त प्रावधान स्वैच्छिक पृथक्कीकरण स्कीम और सांविधिक देयताओं के लिए है।

ब्यौरे विवरण संख्या 9 में दिए गए हैं।

17. विदेशी सरकारों को ऋण (218.46 करोड़ रुपए)

मुख्य व्यवस्थाएं ईराक के लिए 3.00 करोड़ रुपए, म्यांमार के लिए 10.00 करोड़ रुपए, मध्य एशियाई गणराज्य के लिए 10.00 करोड़ रुपए, विएतनाम के लिए 35 करोड़ रुपए, श्रीलंका के लिए 46.00 करोड़ रुपए और बंगलादेश के लिए 105.45 करोड़ रुपए और सेशल्स के लिए 1.00 करोड़ रुपए की है।

ब्यौरे विवरण संख्या 11 में दिए गए हैं।

18. अन्य आयोजना-भिन्न उधार (497.13 करोड़ रुपए)

इसमें गृह निर्माण कार्य, मोटर कार, स्कूटर और बाइसाइकिल आदि की संरीद के लिए सरकारी सेवकों आदि को उधार के रूप में 475 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था शामिल है।

19. विना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को आयोजना-भिन्न व्यय (1237.84 करोड़ रुपए)

इनमें यह व्यवस्था की गई है:- अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए 442.23 करोड़ रुपए, दादरा और नागर हवेली के लिए 38.18 करोड़ रुपए, लक्ष्मीप के लिए 160.58 करोड़ रुपए, चंडीगढ़ के लिए 554.50 करोड़ रुपए और दमन एवं दीव के लिए 42.35 करोड़ रुपए।

ब्यौरे विवरण संख्या 3 में दिए गए हैं।